मध्य प्रदेश में पालेकर अवार्ड का क्रियान्वयन

2224. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के क्या नाम हैं जो जिला स्तर के अधिमान्यता प्राप्त अपने सम्पादकों और पत्रकारों को पालेकर अवार्ड के अनुसार वेतनमान दे रहे हैं और ऐसे पत्रकारों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार उनको अवार्ड के अनुसार वेतन दिलाने के लिए क्या प्रयास कर रही है । और

(ग) मध्य प्रदेश में जिला स्तर के अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना मध्य प्रदेश सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Shifting of Shriram Food and Fertilizers, Delhi

2225. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of IABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to shift the Shriram Food the Minister of LABOUR be pleased to state:

(b) if so, by when a decision is likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) A decision on this has to be taken by Delhi Administration and presently the entire matter regarding restarting of the units of Shriram Food & Fertilizers Ltd., Delhi, is pending with the Supreme Court and is sub-judice.

Problems of non-resident Indians

2226. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether he had a meeting with Non-resident Indians to discuss their problems; and

(b) if so, what is the response of Non-resident Indians after the meeting?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Yes, Sir.

(b) The non-resident Indians were satisfied with the general approach to the issues raised by them as also with the response of the Finance Minister to many of the Specific suggestion.

दिल्ली में रसायनिक कारखानों में सुरक्षा प्रबन्ध

†2227. **श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल, दिल्ली तथा मद्रास की गैस त्रासदियों में हुई जनहानि को देखते हुए सरकार ने दिल्ली के 226 रसायन उद्योगों को ये आदेश दिये हैं कि उन्हें अपनी मिलों और गैस के गोदामों के सुरक्षा प्रबंधों की खामियों को तत्काल दूर करना चाहिए; यदि हां, तो क्या सरकार देश में इस तरह के अन्य उद्योगों को भी ऐसे आदेश देने का विचार रखती है ; और

(ख) ऐसे खतरे उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है अथवा करने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जो कारखाना अधिनियम, 1948

†पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1818, जो 13 मार्च, 1986 से स्थानान्तरित किया गया ।